[2021] 11 एस. सी. आर 1181

मनोहार इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण निजी सीमित

बनाम

संजीव कुमार शर्मा और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 7098)

07 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - एस. 51 राज्य द्वारा पारित आदेश पर सशर्त रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्तियाँ

कमीशन, पूरी राशि और/या दी गई राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि जमा करने की शर्त पर-आदेश

राज्य आयोग द्वारा पारित, अपीलकर्ताओं को ब्याज के साथ घर खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश-द्वारा आदेशों पर रोक लगा दी गई

राष्ट्रीय आयोग, अपीलार्थियों को पूरी राशि जमा करने का निर्देश देता है राज्य आयोग के पास ब्याज, यदि कोई हो, के साथ डिक्रीटल राशि-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: एस. को दूसरे परंतुक के तहत राज्य आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50 प्रतिशत पूर्व जमा करना। 51 अनिवार्य है

राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक अपील के मनोरंजन के लिए-कहा गया पूर्व-जमा शर्त का राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन के अंतरिम आदेश के अनुदान के साथ कोई संबंध नहीं है-राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए, राष्ट्रीय आयोग एक

अपीलार्थी को राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि का पूरा और/या 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का निर्देश देने वाले आदेश पर सशर्त रोक

ऐसा देते समय कारण और/या बोलने का आदेश पारित करें। सशर्त रोक-वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय आयोग

विवादित आदेशों को पारित किया, बिना कोई कारण बताए, मामलों को तय करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को भेज दिया गया

आवेदनों को नए सिरे से रोकें-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 19-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। एक्सएलआई, आर. 5.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - धारा 51-जमा करने से पहले की शर्त

विषय-चर्चा की गई।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 धारा 51 के दूसरे परन्तुक के तहत राज्य आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राशि का 50 प्रतिशत पूर्व जमा करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील के मनोरंजन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अनिवार्य है। उक्त पूर्व-जमा शर्त का उद्देश्य तुच्छ अपीलों से बचना है। उक्त पूर्व जमा शर्त का राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन के अनुदान के साथ कोई संबंध नहीं है। ठहराव आवेदन पर विचार करते समय

राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए, राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थी को राज्य के आदेश के अनुसार पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का निर्देश देते हुए एक सशर्त रोक लगा सकता है।

आयोग। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय

आयोग को कुछ ठोस कारण निर्धारित करने होते हैं और/या एक मौखिक आदेश पारित करना होता है जब राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की सशर्त रोक पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि को एकतरफा आदेश के रूप में या दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमा करने के अधीन पारित की जाती है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना। इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग उपरोक्त तरीके से राज्य आयोग द्वारा आदेशित पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि जमा करने पर राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर सशर्त रोक लगा सकता है। [पैरा 15] [1192-ई-एच; 1193-ए-सी]

1.2 राष्ट्रीय द्वारा पारित विवादित आदेश (ओं)

आई. ए. (ओं)/स्थगन आवेदन (ओं) पर आयोग राज्य आयोग द्वारा पारित संबंधित आदेशों पर रोक लगाते हुए पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने के लिए अपीलकर्ताओं को यंत्रवत रूप से और बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है और/या कोई बोलने का आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए, मामले को राष्ट्रीय आयोग को भेजा जाता है ताकि उक्त पर निर्णय लिया जा सके।

नए सिरे से आवेदन करें और इसमें की गई टिप्पणियों के आलोक में उक्त आवेदनों पर एक उचित आदेश पारित करें।

[पैरा 16] [1193-सी-ई]

श्रीनाथ निगम और अन्य। बनाम उपभोक्ता

शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी और अन्य। , (2014) 8 एससीसी

657 [2014] 9 एस. सी. आर. 356-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 9 एससीआर 356

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.2 मनोहार इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.7098

2021 .

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के एफ. ए./330/21 में आई. ए./3621/21 के निर्णय और आदेश दिनांक 27.09.2021 से।

के साथ

सिविल अपील सं। 7099 , 7100 , 7101 , 7104 , 7102 और 2021 का 7103।

सिद्धार्थ डेव, सीनियर एड. , पवन कुमार रे, रिजु मणि तालुकाध्यक्ष, दीपक गोयल, सुश्री कनिका अग्निहोत्री, सुश्री यशोधरा गुप्ता, सुश्री निहारिका

अहलूवालिया, अंकित खेरा, सुश्री स्नेहा कोहली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। जितेंद्र वशिष्ठ, प्रणब कुमार मलिक, सुश्री दीपलक्ष्मी सुभाष मतवणकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2021 की पहली अपील संख्या 330 में 2021 की आई. ए. संख्या 3621 में पारित किए गए विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थी को पूरी डिक्रीटल

राशि राज्य आयोग, मूल अपीलकर्ता-बिल्डर-मेसर्स के पास जमा करने का निर्देश दिया है। मनोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड

2021 की सिविल अपील संख्या 7098 को प्राथमिकता दी गई। 2. आई. ए. में पारित राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिनांक 31.08.2021 द्वारा पारित विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2021 का सं. 5880; 2021 का आई. ए. No.5881; 2021 का आई. ए. No.5882; प्रथम अपील के संबंध में 2021 का आई. ए. सं. 5883 और 2021 का आई. ए. सं. 5884

नं. 856 2020 का 857,2020 का 858,2020 का 859 और 2020 का 860 जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने उक्त आई. ए. और राष्ट्रीय आयोग ने संबंधित अपीलों को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने के अपने पहले के आदेश को संशोधित करने या समीक्षा करने या वापस लेने से इनकार कर दिया, बशर्ते कि मूल अपीलार्थी/आवेदक-बिल्डर-मेसर्स को अप-टू-डेट ब्याज, यदि कोई हो, के साथ पूरी डिक्रीटल राशि जमा करनी पड़े। टी. डी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने वर्तमान सिविल अपील संख्या को प्राथमिकता दी है। 7099 2021 का 7104 तक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. शुरू में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

अपीलार्थी (ओं) ने संबंधित घर खरीदारों द्वारा ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (इसके बाद "अधिनियम, 2019" के रूप में संदर्भित) की धारा 51 के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी है। कि उक्त अपीलों में, संबंधित अपीलार्थी/आवेदक ने राज्य आयोग द्वारा पारित संबंधित आदेशों पर रोक लगाने के लिए उक्त आवेदन दायर किए।

4. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसा कि उक्त संबंधित अपीलकर्ताओं ने डिक्रीटल राशि का 50 प्रतिशत जमा किया है

अपील (ओं) को प्राथमिकता देना, जिसे अपीलार्थी (ओं) को अधिनियम, 2019 की धारा 19 के तहत आवश्यक अपील (ओं) को प्राथमिकता देते समय पूर्व-जमा के रूप में जमा करना आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने रोक लगा दी है

राज्य आयोग द्वारा इस शर्त पर पारित आदेश कि अपीलार्थी ब्याज, यदि कोई हो, के साथ पूरी डिक्रिटल राशि राज्य आयोग के पास जमा करेगा। राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन आवेदन (ओं) पर पारित आदेश (ओं) से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अपीलार्थी (ओं) को पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का निर्देश देते हुए

ब्याज, यदि कोई हो, राज्य आयोग द्वारा पारित संबंधित आदेशों पर रोक लगाते हुए, मूल अपीलार्थी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 5. श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2021 की सिविल अपील संख्या 7098 और सुश्री कनिका में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं।

6. संबंधित अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 51 के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अपील पर विचार करते हुए राज्य आयोग के आदेश के संदर्भ में पूरी डिक्रिटल राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का आदेश पारित नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैधानिक इरादे के अनुसार, जमा की आवश्यकता सबसे अच्छी तरह से अवमूल्यन राशि का 50 प्रतिशत हो सकती है और उससे अधिक नहीं। संबंधित अपीलार्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित कई आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की संख्या पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसमें राज्य आयोग के आदेश पर रोक लगा दी गई है, बशर्ते कि पूरी डिक्रीटल राशि मनोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण जमा की जाए।

पीवीटी। लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा [एम. आर. शाह, जे.

राज्य आयोग के साथ और इस न्यायालय ने संबंधित का निपटारा किया है विशेष अनुमति याचिका (ओं) इस निर्देश के साथ कि अपीलार्थी (ओं) दूसरे परंतुक को देखते हुए डिक्रिटल राशि का 50 प्रतिशत जमा करेगा -

अधिनियम, 2019 की धारा 51।

6.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का आदेश पारित कर सकता है, उस मामले में भी स्थगन आवेदनों पर ऐसा आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया जाना है/नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थगन देने की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, अर्थात् आदेश XLI नियम 5 के प्रावधानों के तहत सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री पर स्थगन देने की शक्ति के समान है।

पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का आदेश पारित करने का प्रस्ताव है और/या 50 प्रतिशत से अधिक कोई भी राशि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी (ओं) को पूरी डिक्रीटल राशि/पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया जाएगा।

अनुचित होना और अधिनियम, 2019 की धारा 51 के तहत अपील में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी/पीड़ित पक्ष के अधिकार को छीनना।

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2019 की धारा 51 के दूसरे प्रावधान पर विचार करते हुए, यह कहा जा सकता है कि विधायी इरादा यह है कि पीड़ित पक्ष की अपील पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार किया जाए गुण-दोष के आधार पर, उसे डिक्रेटल राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होता है और यह पर्याप्त है कि डिक्रेटल राशि का 50 प्रतिशत जमा किया जाता है और उससे अधिक नहीं।

7. टी. डी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पसंद की गई अपीलों में मूल शिकायत (ओं) प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। अपीलकर्ता-टी. डी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि इस तरह अपीलकर्ता-टी. डी. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने राज्य आयोग द्वारा आदेशित पूरी राशि को रोक लगाने की शर्त के रूप में जमा करने के लिए अपीलार्थी (ओं) को निर्देश देने वाले मूल आदेश दिनांक 04.02.2021 को चुनौती नहीं दी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद 23.03.2021 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने 04.02.2021 के पूर्व आदेश द्वारा पूरी डिक्रीटल राशि जमा करने की शर्त को माफ करने के लिए संबंधित अपील (ओं) को खारिज कर दिया और इसे भी चुनौती नहीं दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिसे चुनौती दी गई है वह संबंधित आई. ए. संख्या में पारित किया गया 31.08.2021 का बाद का आदेश है।

5884 संबंधित प्रथम अपील सं. 2021 में। 856 2020 से 2020 के 860 तक, जो दिनांक 04.02.2021 के पूर्व आदेश के संशोधन के लिए दायर किए गए थे। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले के मुख्य राष्ट्रीय आयोग के दिनांक 04.02.2021 और 23.03.2021 के आदेशों को किसी भी चुनौती के अभाव में, वर्तमान अपील (ओं)/विशेष अनुमति याचिका (ओं) केवल दिनांकित 31.08.2021 के आदेश को चुनौती देती है जो पहले के आदेश को संशोधित करने से इनकार करती है। दिनांकित 04.02.2021 रखरखाव योग्य नहीं है और इसका होना आवश्यक नहीं है।

मनोरंजन किया। 7.1 गुण-दोष पर, वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश समान है।

एक धन डिक्री के लिए और इसलिए धन डिक्री पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थी को निर्देश देने में बिल्कुल उचित है -

निर्णय देनदार राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए पूरी डिक्रिटल राशि जमा करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा वर्तमान मामले में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश धनवापसी के लिए है। संबंधित घर खरीदारों को राशि, जिसे उन्होंने वास्तव में जमा किया और बिल्डर को भुगतान किया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह उनका पैसा है जिसे राज्य आयोग ने वापस करने का निर्देश दिया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय आयोग ने पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने का सही निर्देश दिया है।

7.2 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

मूल शिकायतकर्ता (ओं) की ओर से यह मुद्दा कि क्या राष्ट्रीय आयोग पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का आदेश पारित कर सकता है, अब श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए एकीकृत नहीं है। बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान

समाज और ओआरएस।, (2014) 8 एससीसी 657।

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान सामग्री प्रावधान पर विचार करते हुए

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

" अधिनियम, 1986) धारा 19 का दूसरा परंतुक, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि जमा-पूर्व शर्त का स्थगन के अंतरिम आदेश के अनुदान के साथ कोई संबंध नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थी को पूरी राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करना पीड़ित पक्ष-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी और यह अपील और स्थगन के लिए आवेदन के गुण-दोष के आधार पर विचार करने से पहले न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता है।

मनोहार इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा [एम. आर. शाह, जे.

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (ओं) को केवल 50 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश देने वाले पहले के आदेशों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी आदेश में कोई कानून नहीं बनाया गया है

इस न्यायालय द्वारा नीचे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से कवर

किया गया है। (उपर्युक्त) जिसके द्वारा इस माननीय न्यायालय ने गुण-दोष के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और राशि जमा करने के उद्देश्य और उद्देश्य को पूर्व-जमा के रूप में माना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में। , इस न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 5 और आदेश XXXIX नियम 1 पर भी विचार किया।

अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत अपील पर विचार करने से पहले राशि को पूर्व-जमा के रूप में जमा करना।

7.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

अपीलें करें।

8. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

लंबाई।

9. इस पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न

न्यायालय है: " चाहे वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 के तहत अपील में हो और रोक लगाने के लिए स्थगन आवेदन पर विचार करते समय हो।

आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 51 के तहत अपील पर विचार करते हुए? 10. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो

यह नीचे लिखा है:

“ 51. राष्ट्रीय आयोग से अपील करें। — (1) कोई भी व्यक्ति

राज्य आयोग द्वारा किए गए एक आदेश से व्यथित

धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) या उप-खंड (ए) द्वारा प्रदत्त इसकी शक्तियों में से, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। निर्धारित
किया गया:

बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि इसके भीतर इसे दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था। उस अवधि:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिसे राज्य आयोग के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो,

राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि

अपीलार्थी ने उस राशि का पचास प्रतिशत निर्धारित तरीके से जमा किया है।

(2) इस अधिनियम के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, एक अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील में पारित किसी भी आदेश से

राज्य आयोग, यदि राष्ट्रीय आयोग संतुष्ट है कि

मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

(3) कानून के प्रश्न से संबंधित एक अपील में, का ज्ञापन

अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को सटीक रूप से बताया जाएगा।

अपील में।

(4) जहां राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वह यह तैयार करेगा कि

उस प्रश्न पर प्रश्न पूछें और अपील सुनें:

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात राष्ट्रीय आयोग की शक्ति को छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी -

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करें, यदि यह संतुष्ट है कि मामले में कानून का ऐसा प्रश्न शामिल है।

(5) राज्य आयोग द्वारा एकतरफा पारित आदेश के खिलाफ इस धारा के तहत राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।

11. अधिनियम, 2019 की धारा 51 के निष्पक्ष अध्ययन पर, अधिक

हालाँकि, अपील पर विचार करने से पहले एक अपील को प्राथमिकता दें राष्ट्रीय आयोग, अपीलार्थी को राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होता है। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा उनकी अपील पर विचार करने से पहले राज्य आयोग के आदेश के अनुसार राशि का 50 प्रतिशत जमा करना पूर्व शर्त

है। इसलिए, यह मनोहार इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस पी. वी. टी. जमा करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा [एम. आर. शाह, जे.

50 % राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसकी अपील पर विचार करने से पहले राशि का। हालाँकि, यह पूरी राशि जमा करने का आदेश देने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है और या कोई भी

राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए स्थगन आवेदन पर विचार करते समय राशि का 50 प्रतिशत से अधिक राशि। इसके लिए नियम राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर अपील का मनोरंजन

राज्य आयोग द्वारा आदेशित, जो एक सांविधिक पूर्व-जमा है और आगे की राशि जमा करने के अधीन स्थगन आवेदन पर अंतरिम आदेश का अनुदान विशिष्ट और अलग है। जमा करने से पहले की शर्त

धारा 51 के दूसरे परंतुक का राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन के अंतरिम आदेश के अनुदान के साथ कोई संबंध नहीं है, बशर्ते कि राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि जमा की जाए।

12. श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। (ऊपर)। उपरोक्त में

इस मामले में, यह न्यायालय अधिनियम, 1986 और धारा 19 के दूसरे परंतुक के तहत समान सामग्री प्रावधान पर विचार कर रहा था, जिसमें उसमें निर्दिष्ट राशि का पूर्व-जमा, यानी राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत या Rs.35,000/- जो भी कम हो, प्रदान किया गया था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग द्वारा धारा 19 के तहत अपील पर विचार करते हुए पूर्व जमा शर्त के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने का अवसर मिला था। पैराग्राफ 8 से 10 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना गया है:

" 8. हरियाणा राज्य बनाम में यह न्यायालय। मारुति उद्योग लिमिटेड [(2000) 7 एस. सी. सी. 328], हरियाणा की धारा 39 (5) के पहले प्रावधान के तहत एक अपील में "पूर्व-जमा" की छूट के मामले पर विचार करते हुए।

सामान्य बिक्री कर अधिनियम में कहा गया: (एस. सी. सी पी. 353, पैरा 7)

" 7. ..... इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अपील का अधिकार क़ानून का हिस्सा है और इसका प्रयोग सीमाओं के भीतर और कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। यह एक उच्च न्यायालय की शक्तियों को लागू करने के लिए दायर किया जाता है

न्यायालय की त्रुटि, यदि कोई हो, का निवारण करें। कोई अधिकार नहीं

स्पष्ट शब्दों को छोड़कर अपील की जा सकती है। एक अपील, इसकी रखरखाव के लिए, कानून का एक स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) अपीलीय प्राधिकरण को एक विवेकाधिकार प्रदान करती है कि वह अपील पर विचार करे यदि यह साठ दिनों के भीतर दायर की जाती है और व्यक्तियों [2021] 11 एस. सी. आर. से जुर्माने और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर की राशि का आकलन किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुगतान किया गया है। उपरोक्त प्रतिबंध उस परंतुक के अधीन है जो अपीलीय प्राधिकारी को केवल इस तथ्य के प्रमाण पर राशि जमा करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि अपीलार्थी राशि का भुगतान करने में असमर्थ था। अपील पर निर्णय लेने से पहले, अपीलीय प्राधिकरण संबंधित पक्ष को या तो राशि का भुगतान करने या अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के प्रावधान के संदर्भ में स्थगन के लिए मामला बनाने का अवसर प्रदान करता है। एक बार जब धारा 39 की उप-धारा (5) के तहत निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाता है, तो अपील का जन्म दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए होता है।

9. अधिनियम की धारा 19 का दूसरा परंतुक पूर्व आदेश देता है

आयोग। इसके लिए राज्य आयोग के आदेश के संदर्भ में राशि का 50 प्रतिशत या 35,000 रुपये, जो भी कम हो, की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक अपील का मनोरंजन। जब तक कि

अपीलार्थी ने पूर्व-जमा राशि जमा कर दी है, अपील पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। के आदेश के संदर्भ में राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की पूर्व-जमा शर्त

राज्य आयोग या 35,000 रुपये के लिए शर्त पूर्ववर्ती है

अपील का मनोरंजन करते हुए, इसका स्थगन आदेश के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा आदेश राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

पूर्व-जमा की शर्त तुच्छ अपीलों से बचने के लिए है।

10. यह किसी भी अपीलार्थी का मामला नहीं है कि उपभोक्ता

राज्य और राष्ट्रीय आयोगों सहित मंच के पास नहीं है

ठहराव का अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति। यदि राष्ट्रीय आयोग

अपने विवेकाधिकार पर पक्षों की अपील सुनने के बाद चाहता है कि

प्रदत्त राशि पर रोक लगा दें, राष्ट्रीय आयोग के लिए यह खुला है कि वह ठहराव के सशर्त आदेश सहित एक उचित अंतरिम आदेश पारित करे। अपील का मनोरंजन और अपील में आक्षेपित आदेश के अनुसार कार्यवाही पर रोक दो अलग-अलग चरणों में अलग-अलग आधार पर है। एक (पूर्व-जमा) का अपील की योग्यता के साथ कोई संबंध नहीं है और दूसरा (रोक का अनुदान) प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा के संतुलन और इस तरह की मांग करने वाले पक्ष के अपूरणीय नुकसान पर निर्भर करता है। ठहरिए।"

13. हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

टी श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में। (ऊपर)।

अतः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रीय आयोग मनोहार इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस पी. वी. टी. को आदेश पारित कर सकता है।

लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा [एम. आर. शाह, जे.

राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य आयोग के आदेश के अनुसार पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करें।

हालांकि, साथ ही, राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ स्थगन आवेदन पर विचार करते हुए और पारित करते हुए

पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि को जमा करने के लिए, राष्ट्रीय आयोग को कुछ कारण बताना होगा और एक स्पष्ट आदेश पारित करना होगा कि पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि को जमा करने की शर्त पर सशर्त रोक क्यों दी जा रही है। स्थगन आवेदन पर इस तरह के आदेश को यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना है। श्रीनाथ निगम के मामले में भी

और ओआरएस। (ऊपर), यह देखा गया है कि यदि राष्ट्रीय आयोग अपने विवेकाधिकार पर पक्षों की अपील सुनने के बाद राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि पर रोक लगाना चाहता है, तो यह राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रतिबंध के सशर्त आदेश सहित एक उचित अंतरिम आदेश पारित करने के लिए खुला है। राज्य आयोग द्वारा अपीलार्थी को राशि वापस करने और/या 50 प्रतिशत से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश को धन आदेश के समान कहा जा सकता है। यहां तक कि आदेश XLI नियम 5 के अनुसार, सामान्य नियम यह है कि आम तौर पर धन डिक्री पर कोई बिना शर्त रोक नहीं होगी, हालांकि, उसी समय, अपीलीय न्यायालय रोक लगाते हुए एक उचित सशर्त आदेश पारित कर सकता है। मामले के तथ्यों के आधार पर और ठोस कारण देकर विवादित डिक्री। इसलिए, स्थगन आवेदन पर विचार करते समय

राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए और जैसा कि ऊपर देखा और आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय आयोग एक आदेश पारित कर सकता है।

राज्य द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने का आदेश आयोग, हालांकि, राष्ट्रीय आयोग को एक भाषण पारित करना होगा

विशेष मामले के तथ्यों में राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर सशर्त रोक लगाने के कुछ कारण बताते हुए आदेश

पूरी राशि और/या राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि के जमा होने के अधीन और वह भी अपीलार्थी के साथ-साथ प्रतिवादी को अवसर देने के बाद। स्थगन आवेदन पर आदेश को यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना है। यह राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिमाग के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश क्यों होना चाहिए

राज्य आयोग द्वारा दी गई पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने की शर्त पर रोक लगा दी गई। हालाँकि, साथ ही, आदेश [2021] 11 एस. सी. आर. पर रोक लगाने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 2019 की धारा 51 के दूसरे परंतुक के अनुसार अपील पर विचार करने से पहले राज्य आयोग द्वारा 50 प्रतिशत से कम राशि जमा करने के अधीन, जिसे पूर्व-जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता होती है। 14. अब जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर संबंधित अपीलार्थी (ओं) के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, जिसके द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया गया है, जिसमें अपीलार्थी (ओं) को राज्य आयोग द्वारा आदेशित राशि का केवल 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाता है कि किसी भी मामले में इस न्यायालय द्वारा कोई कानून निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि

नोटिस जारी करते समय, अपीलार्थी को राज्य आयोग के आदेश के अनुसार राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था और

इसके बाद किसी भी कानून पर चर्चा किए बिना और/या इस पर कुछ भी विचार किए बिना गुण और अधिनियम, 2019 की योजना, विशेष रूप से, अधिनियम, 2019 की धारा 51, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है। इसके विपरीत, श्रीनाथ निगम और अन्य के मामले में इस न्यायालय का एक प्रत्यक्ष बाध्यकारी निर्णय है। (उपर्युक्त) योजना, पूर्व-जमा के उद्देश्य और उद्देश्य पर चर्चा करने के बाद कानून को निर्धारित करना और पूरी राशि और/या 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि के जमा पर सशर्त रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्ति।

राशि।

15. उपरोक्त चर्चा का योग और सार और हमारे

निष्कर्ष यह होगा कि:

द्वारा आदेशित राशि का 50 प्रतिशत जमा करने से पहले

((i)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 के दूसरे प्रावधान के तहत राज्य आयोग के लिए अनिवार्य है -

राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक अपील का मनोरंजन;

उक्त पूर्व-जमा शर्त का उद्देश्य बचने के लिए है

((ख)

तुच्छ अपीलें;

उक्त पूर्व-जमा शर्त का अनुदान के साथ कोई संबंध नहीं है

(iii)

राष्ट्रीय आयोग द्वारा ठहराव;

((iv)

आदेश पर रोक लगाने के लिए स्थगन आवेदन पर विचार करते हुए राज्य आयोग द्वारा पारित, राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थी (ओं) को राज्य आयोग के आदेश के संदर्भ में पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की कोई भी राशि जमा करने का निर्देश देते हुए एक सशर्त रोक लगा सकता है।

लिमिटेड। वी. संजीव कुमार शर्मा [एम. आर. शाह, जे.

(v) तथापि, उसी समय, राष्ट्रीय आयोग को कुछ ठोस कारण निर्दिष्ट करने होते हैं और/या एक मौखिक आदेश पारित करना होता है जब राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की सशर्त रोक पूरी राशि और/या 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि को एकतरफा आदेश के रूप में या दोनों पक्षों को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमा करने के अधीन पारित की जाती है। (vi) इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग द्वारा पूरी राशि और/या राज्य आयोग द्वारा आदेशित

राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने पर राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर सशर्त रोक लगा सकता है।

उपरोक्त तरीके से।

16. राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि आई. ए. (ओं)/स्थगन आवेदनों पर उक्त आदेश (ओं) अपीलार्थी (ओं) को संपूर्ण डिक्रिटल जमा करने का निर्देश देता है।

राज्य आयोग द्वारा पारित संबंधित आदेश (आदेशों) पर रोक लगाते हुए राशि को यंत्रवत रूप से और बिना कोई निर्दिष्ट किए पारित किया गया है।

कारण (ओं) और/या कोई बोलने का आदेश पारित नहीं किया जाता है। इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में उक्त आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय लेने और उक्त आवेदनों पर एक उचित आदेश पारित करने के लिए मामलों को राष्ट्रीय आयोग को भेज दिया जाता है। तब तक, प्रतिवादी (ओं) इसमें अपीलार्थी (ओं) के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा।

17. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, सभी अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं। संबंधित अपीलों में संबंधित आई. ए. (ओं) को संबंधित पर नए आदेश पारित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय आयोग की फाइल में बहाल करने का आदेश दिया जाता है। आई. ए. (ओं)/स्थगन आवेदन और बोलने का आदेश/तर्कपूर्ण आदेश पारित करें

ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करें। मूल शिकायतकर्ता (ओं) के लिए यह प्रस्तुत करना खुला रहेगा कि चूंकि यह एक धन डिक्री है और राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश उनके द्वारा घर खरीदार के रूप में जमा की गई राशि को वापस करने के लिए है, इसलिए अपीलार्थी (ओं) को पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की कोई भी राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए और अपीलार्थी (ओं) को अवसर देने के बाद राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, अपीलार्थी के लिए यह भी खुला रहेगा कि वह पूरी राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की किसी भी राशि को जमा किए बिना बिना किसी शर्त के रुकने की प्रार्थना कर सके। राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवेक का प्रयोग करते हुए और संबंधित [2021] 11 एस. सी. आर. पर विचार करते समय उक्त दलीलों पर विचार किया जा सकता है।

आवेदन (ओं) रखें। उपरोक्त प्रक्रिया को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा करना होगा। किसी भी पक्ष को वर्तमान निर्णय और आदेश की एक प्रति तुरंत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष रखनी चाहिए।

इन सभी अपीलों को आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक केवल राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों पर निर्धारित कानून के साथ ही अनुमति दी जाती है -

सम्पूर्ण राशि और/या राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि जमा करने की शर्त पर राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश पर सशर्त रोक लगाना, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे